भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 64
दिनांक 23.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन

***64. श्री भजन लाल जाटवः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) पेयजल और जल आपूर्ति की गुणवत्ता की नियमित निगरानी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है;
(ग) ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों में जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और
(घ) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन” के संबंध में श्री भजन लाल जाटव द्वारा पूछे गए दिनांक 23.07.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *64 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों के ग्रामीण परिवारों सहित देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, राजस्थान के करौली जिले में लगभग 0.15 लाख (6.41%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, लगभग 1.43 लाख ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, जिले के 2.32 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 1.58 लाख (68.22%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इसी तरह, मिशन की शुरुआत में, राजस्थान के धौलपुर जिले में लगभग 0.06 लाख (3.3%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, लगभग 0.89 लाख ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, जिले के 1.82 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 0.95 लाख (52%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, ग्रामीण परिवारों आदि हेतु नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार स्थिति भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और जेजेएम डैशबोर्ड के निम्न लिंक पर देखी जा सकती है:
https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx.

(ख) और (ग) पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों में मदद करती है।

जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। इसके अलावा, जेजेएम ग्रामीण परिवारों के

कवरेज के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण का अनुपालन करता है और सूखा-प्रवण तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों/अपर्याप्त वर्षा या अभरोसेमंद भूजल स्रोतों वाले क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी से और क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं से थोक जल अंतरण की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, वीबी-जी राम जी, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), आरएलबी/पीआरआई को वित्त आयोग से सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन प्रयासों में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, जल संचय जनभागीदारी, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम और अटल भूजल योजना सहित राष्ट्रीय पहलों द्वारा सहायता की जाती है।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत परियोजना निधि का 2% तक उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जागरूकता का प्रसार, जल गुणवत्ता के संबंध में शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल है।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से 'ग्रामीण परिवारों हेतु पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जलगुणवत्ता की निगरानी के लिए संक्षिप्त पुस्तिका' राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन हेतु दिसंबर 2024 में जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने तथा जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

(घ) सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को संवर्धित परिव्यय के साथ दिसंबर 2028 तक बढ़ाने तथा जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचित सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी है।
